भारत में
सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन
(जीएमपीसीएस सेवा)
की
उपलब्धता हेतु
लाइसेंस करार

संo.................... दिनांक ....

कुल पृष्ठ......................................

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
दूरसंचार आयोग

20. अशोक रोड, संचार भवन
नई दिल्ली-110001
भारत

439

सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स

(जीएमपीसीएस) सेवा हेतु

लाइसेंस करार

यह करार.....(दिन).....(महीना).....वर्ष को बतौर प्रथम पक्ष निदेशक (वीएएस-II).....(नाम), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति जिसे इस करार में इसके पश्चात लाइसेंसप्रदाता कहा जाएगा जिसका आशय इसके साथ कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी तथा अनुमत समनुदेशितों से भी है, यदि करार में उल्लिखित विषय-वस्तु के प्रतिकूल एवं से भिन्न कुछ न हो)

तथा

बतौर द्वितीय पक्ष के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री..... के माध्यम से कार्य कर रही कंपनी मैसर्स....., जो 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है तथा जिसका कार्यालय..... में है (जिसे इस करार में इसके पश्चात् लाइसेंसधारी कहा जाएगा जिसका आशय व्यवसाय से संबंधित इसके उत्तराधिकारी, प्रशासकों, परिसमापकों तथा समनुदेशितों या कानूनी प्रतिनिधियों से भी होगा, यदि करार में उल्लिखित विषय-वस्तु के प्रतिकूल एवं से भिन्न कुछ न हो)

के बीच एवं द्वारा निष्पादित किया जाता है।

जबकि भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा (4) के उपबंधों के तहत, लाइसेंसप्रदाता के पास लाइसेंस प्रदान करने का विशेषाधिकार है तथा लाइसेंसधारी ने भारत में **सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स (जीएमपीसीएस)सेवा** को उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है (जैसा कि यूटीआई द्वारा परिभाषित है) तथा इसके पश्चात् एवं उक्त अनुरोध के आधार पर लाइसेंसप्रदाता भारत की भौगोलिक परिसीमा के भीतर जीएमपीसीएस सेवा की उपलब्धता कराने हेतु इस लाइसेंस को प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

अब इस करार में उल्लिखित तथ्य निम्नानुसार हैं :

1. लाइसेंस शुक्ल के भुगतान तथा इस लाइसेंस करार में उल्लिखित सभी शर्तों का लाइसेंसधारक द्वारा उपयुक्त निष्पादन किए जाने के मद्देनजर, लाइसेंसप्रदाता भारतीय तार अधिनियम 1855 की धारा 4 के तहत, गैर-अनन्य आधार पर, **लाइसेंस सेवा क्षेत्र में जीएमपीसीएस सेवा को स्थापित एवं प्रचालित करने हेतु** इस लाइसेंस को प्रदान करता है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त लाइसेंस प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा, यदि पहले किसी भी कारणवश रद्द नहीं किया गया हो।

3. लाइसेंसधारक इस लाइसेंस करार में तथा इसके साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न अनुसूची-I में अधिक स्पष्ट रूप से उल्लिखित सभी शर्तों को बिना किसी परिवर्तन या आपत्ति के पूर्णतः अनुपालन करने के लिए एतद्द्वारा सहमत है तथा स्पष्ट रूप से वचन देता है।

4. लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा इसके लिए प्रदत्त स्पष्टीकरण, यदि करार में कुछ अन्यथा उल्लिखित नहीं हो या करार की विषय-वस्तु से भिन्न प्रतीत नहीं होते हों, इस करार के अभिन्न अंग होंगे। परंतु, इस लाइसेंस करार से संबद्ध किसी भी मामले के संबंध में असहमति या असंगति होने पर, इस करार तथा करार के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तें ही लागू होंगी।

5. इस लाइसेंस की प्रभावी तिथि.....होगी ।

6. लाइसेंसधारक के सेवा क्षेत्र में अन्य प्रचालकों को भविष्य में समय-समय पर अतिरिक्त लाइसेंस भी जारी किए जा सकते हैं, जिसमें प्रचालकों की संख्या संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं हो।

7. यह लाइसेंस समय-समय पर यथा आशोधित एवं प्रतिस्थापित भारतीय तार अधिनियम,1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (इनमें से किसी में भी बनाए गए नियमों सहित) के अनुसार शासित होगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, दोनो पक्ष.....(दिन)..... (महीना).....(वर्ष) को अपने-अपने संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करार को एतद्द्वारा निष्पादित करती हैं।

(नाम).....

निदेशक (वीएएस-।।), दूरसंचार विभाग द्वारा

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित

कंपनी मैसर्स.....की ओर से इसके आम मुख्तारनामा के धारक तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री ..... द्वारा दिनांक..... को करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे दिनांक..... को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संकल्प सं0..... के अनुसार निष्पादित किया गया है।

निम्नलिखित लोग इसके गवाह हैः

1. हस्ताक्षर
   नाम
   पेशा
   पता
   स्थान

2. हस्ताक्षर
   नाम
   पेशा
   पता
   स्थान

अनुसूची-।

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

अनुसूचीः निबंधन और शर्तें

भाग-। सामान्य शर्तें

शर्त 1: लाइसेंसधारक कंपनी का स्वामित्व
शर्त 2: लाइसेंस का क्षेत्र
शर्त 3: लाइसेंस की अवधि
शर्त 4 लाइसेंस का विस्तार
शर्त 5: लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों में आशोधन
शर्त 6: लाइसेंस के अंतरण पर प्रतिबंध
शर्त 7: सेवा प्रदान करना
शर्त 8 सेवा की सुपुर्दगी
शर्त 9: सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता
शर्त 10: लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति
शर्त 11: लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई
शर्त 12: विवाद समाधान
शर्त 13: बाध्यकारी उपाय
शर्त 14: सेट ऑफ क्लॉज
शर्त 15: वे लीव
शर्त 16: सामान्य

भाग ।। सामान्य शर्तें

शर्त 17: प्रशुल्क
शर्त 18: टेलीफोन सेवा निर्देशिका का प्रकाशन

भाग ।।। वित्तीय शर्तें

शर्त 19: देय शुल्क
शर्त 20: " समायोजित एकल राजस्व " की परिभाषा
शर्त 21: वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की सूची।
शर्त 22: बैंक गांरटी
शर्त 23: लेखाओं की तैयारी

भाग IV तकनीकी शर्तें

शर्त 24: लागू व्यवस्था
शर्त 25: इंजीनियरिंग ब्योरा

शर्त 26: नेटवर्क अंतर्संयोजन
शर्त 27: इंटरफेस
शर्त 28: निष्पादन की गुणवत्ता
शर्त 29: आपातकालीन और लोक उपयोगी सेवाएं

भाग V प्रचालन शर्तें

शर्त 30: ग्राहक सेवा
शर्त 31: उपभोक्ता टर्मिनल (मोबाइल टेलीफोन या हैंडसेट)
शर्त 32: लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व
शर्त 33: अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच सीधी अंतर्संपंकता
शर्त 34: कवरेज संबंधी मानदंड
शर्त 35: सेवा के विलंब से सुपुदर्गी हेतु अतिरिक्त प्रवेश शुल्क
शर्त 36: निरीक्षण और संस्थापना की जांच

भाग VI सुरक्षा शर्तें

शर्त 37: निरीक्षण का अधिकार
शर्त 38: स्विचों की अवस्थिति
शर्त 39: सूचना की गोपनीयता
शर्त 40: लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध
शर्त 41: सुरक्षा संबंधी शर्तें
शर्त 42: भारतीय तार अधिनियम का अनुप्रयोग

भाग VII डब्ल्यूपीसी स्कंध का लाइसेंस

शर्त 43: डब्ल्यूपीसी स्कंध का लाइसेंस

अनुबंध - I: शर्तों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषा
अनुबंध - II: वित्तीय बैंक गारंटी के लिए प्रारूप
अनुबंध - IIII: राजस्व और लाइसेंस शुल्क के परिकलन के ब्यौरे संबंधी शपथ हेतु प्रारूप
परिशिष्ट I से अनुबंध III: लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों का आरूप
परिशिष्ट II से अनुबंध III : राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क के विवरण का आरूप।
अनुबंध - IV : वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु मानदंड

अनुसूची : शर्तें एवं निबंधन

भाग - I सामान्य शर्तें

1. **लाइसेंस धारक कंपनी का स्वामित्व**

1.1 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी कंपनी की कुल विदेशी इक्विटी संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय कुल इक्विटी के 49% से अधिक नहीं होगी। लाइसेंसधारक कंपनी में क्रमशः भारतीय और विदेशी इक्विटी हॉल्डिंग का विवरण जो कि लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को बताया गया है निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	प्रवर्तक का नाम	भारतीय/विदेशी	इक्विटी धारण करने का प्रतिशत
1			
2			
3			

1.2 जब तक लाइसेंस प्रदाता द्वारा लिखित रूप में अनुमति प्रदान नहीं की जाती भारतीय और विदेशी प्रवर्तकों या उनकी इक्विटी सहभागिता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

1.3 लाइसेंसधारक कंपनी लाइसेंस प्रदाता की पूर्व लिखित सहमति से समान अथवा उच्च स्थिति के अन्य प्रवर्तकों को जैसाकि नीचे अनुबंधित है, प्रवर्तकों की जगह पर रख सकती है।

(क) मौजूदा विदेशी प्रवर्तक के विकल्प के रूप में समान स्थिति वाले किसी अन्य विदेशी प्रवर्तक को लाया जा सकता है।

(ख) मौजूदा भारतीय प्रवर्तकों को भी विदेशी प्रवर्तकों की शेयर धारिता प्राप्त करने की अनुमति होगी और

(ग) मौजूदा भारतीय प्रवर्तकों के मध्य आपस में इक्विटी के स्थानांतरण की अनुमति दी जाय, बशर्ते बहुसंख्यक भारतीय प्रवर्तक लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख से कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान शेयर धारिता को धारण करना जारी रखें। प्रतियोगिता को बरकरार रखते हुए भारतीय कंपनियों के विलय की अनुमति दी जाए, इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता द्वारा ट्राई से सलाह ली जाएगी।

1.4 लाइसेंसधारक को यह भी सुनिश्चित करना होगा किः-

(i) शेयर धारिता में कोई बदलाव सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

(ii) लाइसेंसधारक कंपनी के प्रबंधक पर नियंत्रण करना भारतीय नागरिकों के ही हाथ में होगा।

2. **लाइसेंस का क्षेत्र**

2.1 लाइसेंसधारक को सर्किट और/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर का उपयोग करते हुए डाटा सेवाऐं, वॉयस और नॉन वॉयस संदेशों सहित सभी प्रकार की मोबाइल सेवाओं को अपने प्रचालन क्षेत्र में मुहैया करने की अनुमति होगी, ताकि संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ(आईटीयू)/दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) मानकों को किया जा सके।

2.2 लाइसेंसधारक ऐसे उपभोक्ताओं से संविदा करते समय उसे उसके सेवा क्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से बताएगा। उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सेवा के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त मामला केवल उपभोक्ता और लाइसेंसधारक के मध्य ही होगा।

2.3 लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने में विहित सारी अवसंरचना संबंधी व्यवस्था स्वयं करेगा तथा संस्थापना, आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों की नेटवर्किंग और प्रचालन, उपभोक्ता की शिकायतों का निरूपण अपने उपभोक्ताओं के बिल जारी करना, राजस्व का संग्रहण, अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और क्षतियों पर ध्यान देने के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेवार होगा।

3. लाइसेंस की अवधि

3.1 यह लाइसेंस प्रभावी तिथि से 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जब तक कि इसे दस्तावेज में कहीं भी उल्लिखित कारणों से पहले निरस्त न किया जाए।

4. लाइसेंस अवधि का विस्तार

4.1 यदि उपयुक्त माना जाए तो, लाइसेंसदाता लाइसेंस की अवधि को लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एक बार में 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है बशर्ते कि यह अनुरोध पारस्परिक सहमति पर लाइसेंस अवधि के 19 वें वर्ष के दौरान किया गया हो। अवधि विस्तार की स्वीकृति के बार में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा।

5 . लाइसेंस की निबंधन और शर्तों में आशोधन

5.1 लाइसेंसप्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि लाइसेंस प्रदाता की राय में जनहित अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा टेलीग्राफों के सही संचालन हेतु आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों में बदलाव कर सकता है। इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। तथापि, ऐसी स्थिति में एक पत्र ट्राई को भेजा जाएगा।

6. "लाइसेंस के अंतरणं पर प्रतिबंधः-

6.1 लाइसेंस प्रदाता की नीचे वर्णित पूर्व लिखित सहमति के बिना लाइसेंसधारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी तरीके से तीसरे पक्ष को इस लाइसेंस को सुपुर्द अथवा अंतरित नहीं करेगा अथवा उप लाइसेंस के लिए कोई करार नहीं करेगा और अथवा किसी तीसरे पक्ष से लाइसेंस संबंधी किसी विषय के बारे में पूर्णतः अथवा आंशिक साझेदारी नहीं करेगा अर्थात कोई उप-पट्टा/साझेदारी/तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा। परन्तु लाइसेंसधारी सेवा की व्यवस्था हेतु हर समय एजेंट और कर्मचारी नियोजित अथवा तैनात कर सकता है।

6.2 लाइसेंस प्रदाता द्वारा निबंधन और शर्तों और लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारक और उधारदाता के मध्य किए गए त्रिपक्षीय करार में लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुमत स्थानांतरण की लिखित सहमति अथवा लाइसेंस की सुपुर्दगी प्रदान की जाएगी।

7. सेवा प्रदान करना

7.1 लाइसेंसधारक इस लाइसेंस करार के अंतर्गत जीएमपीसीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी अनुप्रयोज्य प्रणालियों के स्वामित्व, संस्थापन, जाँच और आरंभ करने के लिए जिम्मेदार और प्राधिकृत होगा।

8. सेवा की सुपुर्दगी

8.1 लाइसेंसधारक लाइसेंस की प्रभावी तिथि से एक वर्ष के भीतर अनुप्रयोज्य प्रणालियों की शुरूआत करेगा। सेवा शुरू करने का तात्पर्य लाइसेंसदाता से अनुमति लेकर उपभोक्ताओं को प्रभावी वाणिज्यिक सेवा प्रदान करना होगा।

9. लाइसेंस प्रदाता को सूचना देने संबंधी अपेक्षा

9.1 लाइसेंसधारक समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों/आदेशों के अनुसार लाइसेंसदाता को ऐसे दस्तावेज, लेखों,विवरण, प्राक्कलन अनुमान प्रतिवेदन, रिपोर्ट या अन्य सूचना मांगे जाने पर समयसीमा में प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारक ट्राई अधिनियम 1997 अथवा संशोधित या आशोधित कानून के प्रावधानों के तहत समय-समय पर जारी किया गया कोई आदेश अथवा निर्देश या नियमन के अनुसार ट्राई को सूचना भी प्रस्तुत करेगा।

9.2 लाइसेंसधारक अपनी मूल/संबद्ध कम्पनी और/अथवा स्पेस सेग्मेन्ट/सेटेलाइट -सिस्टम के स्वामी/प्रचालक के साथ समपन्न संविदाओं/लाइसेसों के निबंधन और शर्तों, जिन में देश की सरकारों/प्राधिकरणों, जिनमें मूल/संबद्ध कंपनी पंजीकृत होती है और/अथवा भारत में सेवा के लिए सुरक्षा संबंधी अनुमति लेने से पूर्व और लाइसेंस की मंजूरी से पूर्व अपना व्यवसाय करती है, द्वारा जारी संविदाओं/लाइसेंसों में निहित निबंधन और शर्ते भी शामिल है, से संबंधित सम्पूर्ण ब्यौरों का खुलासा करेगा। लाइसेंसदाता को ऐसी सभी संविदाओं/लाइसेंसों की अधिप्रमाणित प्रतियों के साथ इस प्रकार प्रस्तुत सूचना लाइसेंस धारक की जानकारी और विश्वास में सत्य एवं सही होती है। लाइसेंस की वैद्यता अवधि के दौरान जबभी कभी कोई परिवर्तन किया जाता है, उससे संबंधित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

9.3 लाइसेंसधारक, किसी भी ऐसे दूरसंचार सेवा प्रदाता(ऐसे अन्य सेवा प्रदाताओं सहित, जिनके लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस अपेक्षित नहीं है) जिसका किसी निर्धारित समय पर लाइसेंस/मंजूरी समाप्त अथवा स्थगित हो गया हो अथवा प्रचालन में नहीं है को किसी भी स्थिति में डिजिटल पारेषण सेवा की इजाजत नहीं देगा। जहाँ संयोजकता पहले से हैं, लाइसेंसधारक को बिना समय गंवाए तत्काल कनेक्शन काटने अथवा संयोजकता समाप्त करनी होगी। लाइसेंसप्रदाता से इस संबंध में कोई भी संदर्भ प्राप्त होने पर ऐसे संदर्भ प्राप्त होने के एक घंटे के अंदर कनेक्शन काटना होगा। कनेक्शन काटने के संबंध में लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

10. लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति

10.1 लाइसेंसप्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि जनहित में अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा सेवा के सुचारू संचालन हेतु लाइसेंसप्रदाता की राय में यदि आवश्यक या उपयुक्त हो तो वह किसी भी समय पूर्णतया अथवा अंशतः इस लाइसेंस के प्रचालन को रोक सकता है।

लाइसेंसप्रदाता को देय लाइसेंस शुल्क उस अवधि के लिए दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसमें लाइसेंस का प्रचालन पूर्णतया रोक दिया गया है।

परन्तु उपरोक्त कार्रवाई के फलस्वरूप हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए लाइसेंसप्रदाता जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस की अवधि विस्तार के लिए लाइसेंस का निलंबन कोई कारण अथवा आधार नहीं होगा तथा निलंबन की अवधि पहले ही व्यतीत अवधि के रूप में गिनी जाएगी।

10.2 लाइसेंस की किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर किसी अन्य उपलब्ध उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लाइसेंसप्रदाता लाइसेंसधारी को इसके पंजीकृत कार्यालय को जारी 60 दिन के लिखित नोटिस द्वारा निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में इस लाइसेंस को निरस्त कर सकता है-
यदि लाइसेंसधारीः-

(क) शुल्क के समय पर भुगतान और लाइसेंसप्रदाता को देय अन्य प्रभारों सहित लाइसेंस के अंतर्गत किसी दायित्व के निष्पादन में असफल रहे;

(ख) लाइसेंसप्रदाता द्वारा लाइसेंसधारी को दी गई समय अवधि के दौरान सेवा/उपस्कर में की गई त्रुटि/कमी को सुधार न पाए।

(ग) परिसमापन हो जाए अथवा उसे समाप्त करने के आदेश दिए जाए।

(घ) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर ट्राई द्वारा लाइसेंस के निरस्तीकरण की सिफारिश की जाए।

10.3 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता को कम से कम 60 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर लाइसेंस को लौटा भी सकता है। लाइसेंसधारी अपने सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस भेजकर परिणामस्वरूप सेवा वापसी की भी सूचना भेज सकता है। लाइसेंसधारी लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख तक के सभी शुल्क अदा करेगा। लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख लाइसेंस प्रदाता को प्राप्त ऐसे नोटिस की तारीख से गिनकर 60वाँ कलैण्डर दिन होगा।

10.4 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि लाइसेंस को रद्द करने संबंधी नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन का नोटिस देकर जनहित में लाइसेंस को किसी भी समय रद्द कर सकता है।

10.5 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तो वह किसी क्षेत्र को प्रचालन जोन से बाहर रख सकता है और उसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

10.6 लाइसेंस शर्तों की जानकारी पूरा न करने संबंधी उल्लंघन की नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप या शिकायतों के माध्यम से लाइसेंस दाता के नोटिस में आ सकती है। जहां भी उपयुक्त समझा जाए, लाइसेंस दाता स्वयं या शिकायत के आधार पर यह जानने के लिए जांच कर सकता है कि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा इस जाँच के आधार पर लाइसेंसधारी सभी उचित सुविधाओं में विस्तार करेगा तथा प्रत्येक प्रकार की अड़चन को हटाने का प्रत्यत्न करेगा।

10.7 लाइसेंस धारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस अवधि के दौरान भी जब लाइसेंस को लौटाने/समाप्त करने का नोटिस लंबित है सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखेगा तथा यदि उक्त नोटिस अवधि के दौरान सेवा की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है तो क्षतियों का भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी होगा। क्षतियों की मात्रा तथा इसका भुगतान किसे किया जाना है इसका निर्णय ट्राई द्वारा किया जाएगा। लाइसेंस धारी नोटिस अवधि के

अंत तक तथा विशेष रूप से उस तिथि से जिससे लाइसेंस लौटाने समाप्त करना प्रभावी होता है, से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

11. लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई

11.1 यदि लाइसेंस करार के अन्तर्गत ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लाइसेंस प्रदाता को लाइसेंस करार को समाप्त करना पड़े तो लाइसेंस प्रदाता त्रिपक्षीय करार में दी गई शर्तो के अनुसार कार्रवाई करेगा। जहां ऐसा करार निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया हो। हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार न होने के मामले में निम्न शर्तों के अनुसार कार्रवई की जाएगी।

11.2 लाइसेंस को समाप्त करने अथवा छोडने अथवा अवधि खत्म होने की स्थिति में, सभी देयताओं को चुकाने के संबंध में आश्वस्त होने पर ही लाइसेंसधारी को बैंक प्रत्याभूतियां सौंपी जाएंगी। लाइसेंसधारी के लाइसेंस को देय राशियों का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, लाइसेंसधारी को आगे कोई सूचना दिए बिना लाइसेंस दाता को देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाइयों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बैंक प्रत्याभूतियों के भुनाने के माध्यम से बकाया राशि वसूली जाएगी।

12. विवाद समाधान

12.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के प्रावधानों और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार

i) लाइसेंसधारक और उपभोक्ताओं का ग्रुप और

ii) लाइसेंसधारक और लाइसेंस प्रदाता के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है और उक्त विवाद लाइसेंस करार के प्रावधानों से उत्पन्न हुए हैं अथवा उनसे जुड़े हुए है तो इनका समाधान दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय प्राधिकरण में किया जाएगा।

13. बाध्य कारी उपाय

13.1 यदि किसी समय इस लाइसेंस के जारी रहने के दौरान किसी पक्षकार द्वारा इसके अंतर्गत किसी दायित्व का समग्र रूप से या आंशिक रूप से निष्पादन को युद्ध या शत्रुता द्वारा, सार्वजनिक शत्रुता, नागरिक क्षोभ, विध्वंस राज्य की कार्रवाई या सांविधिक प्राधिकारी से निदेश, विस्फोट, महामारी संगशोध प्रतिबंध हड़ताल और तालाबंदी (जो लाइसेंस धारक के प्रतिष्ठानों तथा सुबिधाओं तक सीमित नहीं हो), आग, बाढ, प्राकृति आपदाएं या देवी कार्य (जिसे यह घटना कहा जाएगा) द्वारा रोका जाता है या विलम्बित होता है, बशर्ते कि किसी ऐसी घटना के होने के बारे इसके घटित होने की तारीख से 21 कैलेण्डर दिवसों के भीतर इसकी सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा दूरसरे पक्ष को दे दी जाती है, कोई भी पक्ष इस घटना के कारण लाइसेंस समाप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा न ही किसी पक्ष का ऐसा निष्पादन न करने या निष्पादन में विलम्ब के मामले में दूसरे पक्ष के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार होगा। परन्तु ऐसी घटना के समाप्त होने के पश्चात लाइसेंस के वहन सेवा व्यवहार्य होने पर शीघ्रतिशीघ्र शुरू की जाएगी। इस तरह सेवा शुरू करने (और समय-सीमा जिसमें भीतर सेवा शुरू की जा सकती है) या न करने के संबंध में लाइसेंस दाता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

13.2 तथापि, बाध्यकारी उपाय संबंधी उपर्युक्त घटनाओं के कारण किसी भी तरह लाइसेंस की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी।

13.3 जबकि यह लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने का कोई आधार भी नहीं होगा। घटना की परिस्थितियों पर आधारित विवेक पर बाध्यकारी खंड के कारण ऐसी अप्रचालक अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की देयता को तथापि लाइसेंसदाता द्वारा कम किया/छोड़ा जा सकता है।

14. सेट ऑफ खंड

14.1 यदि कोई धनराशि अथवा दावा लाइसेंस धारक से लाइसेंसदाता को इस लाइसेंस करार के लिए अथवा अन्यथा किसी रूप में देय होता है तो ऐसी धनराशि अथवा दाबे को विधिद्वारा दिए गए अथवा लगाए गए किसी प्रतिदावे के लिए सेट ऑफ संबंधी किसी अधिकार को प्रति वंधित किए बिना तब देय अथवा इस लाइसेंस करार या अन्य करार अथवा लाइसेंसदाता तथा लाइसेंस धारक के बीच किसी अन्य करार अथवा ठेके के अंतर्गत तत्पश्चात किसी समय लाइसेसधारक को देय होने वाली किसी राशि अथवा धनराशि में से घटा लिया जाएगा अथवा समायोजित कर दिया जाएगा।

14.2 लाइसेंस धारक कंपनी को भुगतान की जाने वाली पूर्वोक्त धनराशि में कोई प्रतिभूति जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सके, शामिल होगी।

14.3 सेट ऑफ अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात, लाइसेंस दाता ऐसी कार्रवाई की सूचना लाइसेंस धारक कंपनी को तुरंत देगा।

15. वे लीव

15.1 लाइसेंस धारक कंपनी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए स्वयं अपना प्रबंध करेगी। तथापि, केन्द्र सरकार भारतीय तार अधिनियम 1885 के भाग- III के अंतर्गत टेलीग्राफ लाइनें स्थापित करने के उद्देश्यार्थ, लाइसेंस धारी को अपेक्षित शक्तियां प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकते हैं बशर्ते कि आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता या किसी ऐजेंसी से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने में हुए विलंब को रॉल-आउट दायित्वों को पूरा न होने के कारण के रूप में न माना जाए तथा साथ ही इस लाइसेंस की शर्तों के द्वारा लगाए किसी दायित्व को पूरा न कर पाने के लिए एक वैध कारण के रूप में नही लिया जाएगा।

16. सामान्य

16.1 लाइसेंस धारक इस लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों तथा लाइसेंस दाता/ट्राई द्वारा जारी अनुदेशों तथा समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनयम 1997 के उपबंधों के अनुसार ट्राई के आदेशों/निदेशों/विनियमनों से बंधा होगा।

16.2 इस लाइसेंस से संबंधित सभी विवाद ट्राई अधिनियम 1997 के उपबंधों, जिसमें कोई भी संशोधन या आशोधन जो भी हो शामिल है, के अनुसार दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार में होंगे।

16.3 यह लाइसेंस करार भारतीय तार अधिनियम-1885 या भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के अंतर्गत सावंधिक उपबंधों और नियमों के अनुसार कार्य करेगा। इन संविधियों के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश लाइसेंस धारी के लिए मान्य होगा।

भाग- II वाणिज्यिक शर्तें

17. प्रशुल्क

17.1 लाइसेंस धारी ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क आदेशों/विनियमों/निदेशों के अनुसार सेवा के लिए प्रशुल्क वसूली करेगा। लाइसेंस धारी समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर जारी ट्राई के निर्देशानुसार इसके आदेशों/विनियमनों/निदेशों के माध्यम से प्रशुल्कों, अधिसूचनाओं के प्रकाशन और सूचना प्रदान करने के बारे में भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

18. दूरभाष सेवा निर्देशिका का प्रकाशन

18.1 टेलीफोन सेवा निर्देशिका जिसमें जीएमपीसीएस उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं होगी, को प्रकाशन करने के संबंध में ट्राई का निर्णय लागू होगा और मान्य होगा।

भाग- III वित्तीय शर्तें

19. देय प्रशुल्क

19.1 प्रवेश शुल्क

लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करते समय लाइसेंस धारक द्वारा एक करोड़ रु0 का एक मुश्त प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जाए।

19.2 लाइसेंस शुल्क

उपर्युक्त वर्णित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारक को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की 10% की दर से वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा जिसमें स्पेक्ट्रम प्रभार शामिल नहीं है। राजस्व भागीदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क में (i) यूएसओ, (ii) आर एंड डी, प्रशासन और नियमन से संबंधित अंशदान शामिल है।

19.3 रेडियो स्पेक्ट्रम प्रभार

उपग्रह स्टेशन जिनमें जीएमपीसीएस गेटवे एवं मोबाइल टर्मिनल शामिल है के स्थापन अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी प्रभारों का भुगतान भी लाइसेंसधारक करेगा।

20 "समायोजित सकल राजस्व" की परिभाषा

20.1 सकल राजस्व

सकल राजस्व में संस्थापन प्रभार, विलंब शुल्क, हैंड सेटों की बिक्री की प्राप्तियों (अथवा कोई अन्य टर्मिनल उपस्कर इत्यादि), व्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्यवर्धित सेवाएं, अनुपूरक सेवाएं, अभिगम या इंटर कनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अवसंरचना की स्वीकृत साझेदारी से प्राप्त राजस्व अथवा कोई अन्य विविध राजस्व व्यय के संबंधित मद हेतु बिना किसी बढ़ोत्तरी इत्यादि शामिल है।

20.2 समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का निर्धारण के प्रयोजनार्थ, एजीआर का निर्धारण करने के लिए सकल राजस्व में निम्नलिखित शामिल नहीं किया जाएगा :-

(i) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या भारत के अदर अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता को वास्तविक रूप से भुगतान किए गए पीएसटीएन से संबंधित कॉल प्रभार (अभिगम प्रभार).

(ii) अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तविक रूप से हस्तांतरित रोमिंग राजस्व और

(iii) विक्रय कर और सेवा कर के संघटक के रूप में यदि सकल राजस्व शामिल किया गया था तो सरकार को वास्तविक रूप से प्रदत्त सेवा के संबंध में सेवा कर तथा बिक्री कर।

21- वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की समय-सूची

21.1 लाइसेंस शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रथम वर्ष की समाप्ति लाइसेंस करार की शुरूआत की तारीख के बाद 31 मार्च को होगी और प्रथम वर्ष के लाइसेंस शुल्क का निर्धारण 'वर्ष' की वास्तविक अवधि के लिए यथानुपात आधार पर होगा। दूसरे वर्ष से आगे के वर्ष के लिए लाइसेंस के भुगतान के लिए वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अंग्रेजी कैलेण्डर के 12 महीने का होगा।

व्याख्या : लाइसेंस के प्रथम वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क की गणना पूर्ववर्ती तिमाहियों जो प्रायः प्रत्येक तीन महीने की होती है, को छोडन के पश्चात् दिनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जाएगी।

21.2 लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में किया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दनों के भीतर करना होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेस शुल्क का भुगतान, लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र द्वारा विधिवत प्रमाणित करके बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर आफ अटार्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व के आधार पर (प्राप्ति के आधार पर) करना होगा। तथापि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही के लिए प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक करना होगा, बशर्ते कि न्यूनतम भुगतान पिछली तिमाही के लिए अदा किए गए राजस्व हिस्से के बराबर हो।

21.3 त्रैमासिक भुगतान अनुबंध में दिए गए विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा जिसके साथ समायोजित सकल राजस्व का परिकलन और पिछली तिमाही के लिए देय लाइसेंस शुल्क दर्शाना होगा। प्रत्येक वर्ष के पूर्वोक्त विवरणों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अधीन नियुक्त किए गए लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षा (जिसे इसके पश्चात लाइसेंसधारक का लेखा परीक्षक कहा गया है) से लेखा परीक्षा करानी अपेक्षित होगी। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

21.4 लाइसेंसधारक द्वारा किए गए भुगतान और वित्तीय वर्ष की पूर्व तिमाही के लिए देय वास्तविक राशि (प्राप्ति के आधार पर) के बीच अंतर का समायोजन और भुगतान कथित तिमाही के लिए अग्रिम भुगतान सहित करेगा।

21.5 निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क अथवा लाइसेंस के अंतर्गत देय कोई अन्य बकाये के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के कारण संबंधित कथित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क में जो दर वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) की शुरूआत में होगी उसी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) से 5 % से अधिक दर पर ब्याज लगेगा। ब्याज मासिक रूप से मिश्रित किया जाएगा और महीने के कुछ दिनों को ब्याज की गणना के प्रयोजनार्थ पूरा महीना के रूप में गिना जाएगा। महीना अंग्रेजी कलेण्डर के माह के रूप में माना जाएगा।

21.6 वर्ष के लाइसेंस शुल्क का अंतिम रूप से समायोजन कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व आकड़ों के आधार पर या निम्नलिखित वर्ष के आधार पर 30 जून से पहले होगा।

21.7 लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर करार के अनुबंध-III के निबंधनों में प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों में दर्शाये आंकडे और वार्षिक लेखाओं में दर्शाये आंकडों जिसके साथ प्रकाशित वार्षिक लेखांकन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा यथा लेखा परीक्षित तिमाही विवरण भी होगा, के बीच सामंजस्य बनाकर प्रस्तुत करना होगा। यथा निर्धारित वार्षिक वित्तीय लेखा और विवरण अनुबंध में यथा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुंए तैयार करना होगा।

21.8 यदि लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं निर्धारण करने पर वित्तीय वर्ष की चारों (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा की गई कुल राशि के देय लाइसेंस शुल्क के 10% से अधिक तक कमी आती है तो इस पर कम भुगतान की संपूर्ण राशि का 150% का जुर्माना लगेगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से 60 दिनों के भीतर कम भुगतान की राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा कम भुगतान की राशि जुर्माने सहित का भुगतान वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में शर्त 21.5 की शर्तों के अनुसार उस पर पुनः ब्याज लगा दिया जाएगा।

21.9 डब्ल्यूपीसी प्रभारों के लिए देय शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान उस समय और उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि दूरसंचार विभाग का डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा समय -समय पर निर्धारित किया जाए।

21.10 इस लाइसेंस करार में यथा उल्लिखित संपूर्ण राशि बकाया और देय हो रही है तो उसका लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक से डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य प्राधिकारी , यदि लाइसेंसदाता द्वारा ऐसा कोई पदनामित किया जाए के पक्ष में करना होगा।

21.11 लाइसेंस दाता अदा की गयी राजस्व हिस्सेदारी का समुचित और सही-सही सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसके पहले और इसके बाद में लिखित इस अनुसूची की शर्त सं0 21.3, 21.7, 23.5 और 23.6 में जो कुछ भी कहा गया है यदि आवश्यक मानता है तो उनमें आशोधन, फेरबदल प्रतिस्थापन और संशोधन कर सकता है।

21.12 लाइसेंस धारक के नेटवर्क पर आने वाले कॉल जिन्हें बीएसएनएल/एमटीएनएल/अन्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क पर प्रेषित किया जाता है, ऐसे कॉल के लिए अलग से अभिगम प्रभार अदा करना होगा। लाइसेंस धारक बीएसएनएल/एमटीएनएल/ अन्य सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस धारक के नेटवर्क संसाधनों के उपयोग के लिए भी अलग से प्रभार अदा करेगा। यह ट्राई के निर्णयनुसार नियमित होगा।

22. बैंक गारंटी

22.1 लाइसेंसधारी, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संलग्न निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूचित बैंक या ऐसी बैंक गारंटी जारी करने के लिए यथा प्राधिकृत किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से दो वर्ष के लिए मान्य वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। अगर सेवा प्रारंभन में विलंब होता है तो वित्तीय बैंक गारंटी का पुर्नवैधीकरण किया जाएगा तदनुसार एफ बी जी की धनराशि लाइसेंस शुल्क और अन्य देय जिनकी अन्यथा संवीक्षा नही की जाती के समक्ष वार्षिक देय अनुमानित राशि के बराबर होगी। वित्तीय बैंक गारंटी की धनराशि लाइसेसदाता द्वारा आवधिक समीक्षा के अध्यधीन होगी।

22.2 प्रारंभ में वित्तीय बैंक गारंटियां एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगी और इसका समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपनी ओर से वर्ष दर वर्ष आधार पर लाइसेंसदाता से किसी मांग या नोटिस के बिना बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख के कम से कम एक माह पूर्व समान शर्तों पर इसकी वैधता अवधि का विस्तार करेगा। ऐसा न करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के बराबर होगा और लाइसेंसदाता को बैंक गारंटी को भुनाने और लाइसेंसधारक को बताए बिना उसी की जोखिम और लागत पर इसे नकद जमानद राशि में परिवर्तित करने का अधिकार होगा। ऐसे नकदीकरण पर लाइसेंसदाता को कोई भी ब्याज या क्षतिपूर्ति नहीं देना होगा। लाइसेंसधारक द्वार लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने के मामले में लाइसेंसदाता इसके किसी अन्य अधिकारों के संबंध में किसी पूर्वाग्रह के बिना बैंक गारंटी (एफबीजी और पीबीजी) को भुना सकता है।

22.3 लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार का उल्लघंन किए जाने के मामले में लाइसेंसदाता इसके किसी अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में किसी पूर्वाग्रह के बिना बैंक गारंटी (एफबीजी और पीबीजी) को भुना सकता है।

23.0 लेखाओं की तैयारी

23.1 लाइसेंसधारक सेवा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का आहरण, रखरखाव और उन्हें प्रस्तुत करेगा और लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा जैसा भी मामला हो, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों , दिशा-निर्देशों अथवा विनियमों का पूर्णरूपेण अनुपालन करेगा।

23.2 लाइसेंसधारक निम्नलिखित कार्य के लिए बाध्य होगा :

(क) लाइसेंस अवधि की पूरी हुई प्रत्येक तिमाही अथवा इससे कम अवधियों जैसा लाइसेंसदाता निर्धारित करे, के संबंध में अपने करोबार में लेन-देन को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने और व्याख्या करने, लागत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने (पूंजीगत लागत सहित) लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक के कारोबार की राजस्व और वित्तीय स्थिति जिसमें लगाई गई परिसम्पत्तियों का तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल है, और राजस्व की मात्रा निर्धारित करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु लाइसेंसधारक के कारोबार से संबंद्ध अन्य देनदारियों से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और संकलन करना।

(ख) पूरे हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किए गए उन प्रत्येक लेखांकन विवरणों के बारे में अधिप्रापण, लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताना कि क्या उनके विचार से इस शर्त के प्रयोजनार्थ वह विवरण पर्याप्त है और तत्पश्चात लाइसेंसदाता को उक्त रिपोर्ट के साथ प्रत्येक लेखांकन विवरणों की प्रतिलिपि उस अवधि, जिससे वे संबद्ध हों, की समाप्ति के पश्चात संप्रेषित करना जो तीन महीने से अधिक न हो।

(ग) कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र पर शपथ का प्रमाणित विवरण, जिसमें सेवा से प्रत्येक तिमाही की सेवा से अर्जित राजस्व का अलग-अलग पूर्ण लेखा विवरण और साथ में संबंधित तिमाही का भुगतान विवरण भी हो, लाइसेंसदाता को संप्रेषित करना।

23.3 (क) लाइसेंसदाता अथवा ट्राई के पास जैसा भी मामला हो, इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए व्यवसाय के बारे में किसी भी लेखा बही जिसका रखरखाव लाइसेंसधारक करे, की जांच करने के लिए किसी भी समय मांग करने का अधिकार है और लाइसेंसधारक जांच के लिए उन्हें आपूर्ति करने और प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

(ख) लाइसेंसधारक निरपवाद रूप से कंपनी के विधिवत लेखा परीक्षित व अनुमोदित लेखाओं के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी बिलिंग और अन्य लेखांकन रिकार्डों (इलेक्ट्रॉनिक और हार्डकॉपी) को सुरक्षित रखेगा और इस कार्य में किसी भी कोताही को किसी अन्य उल्लंघन के समान स्वतः वास्तविक उल्लंघन माना जाएगा और यह लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त कारण होगा।

23.4 लाइसेंसधारक के रिकार्डों की जांच लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अध्यधीन होगी ताकि लाइसेंसदाता को देय उसके राजस्व हिस्सेदारी की धनराशि के स्वतंत्र सत्यापन में सुविधा रहे।

23.5 लाइसेंसदाता के विचार में जब यह आए कि प्रस्तुत किए गए विवरण अथवा लेखांकन गलत अथवा भ्रामक हैं तो वह लाइसेंसधारक के खर्च पर लेखा परीक्षक नियुक्त करके लाइसेंसधारक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का आदेश दे सकता है और नियुक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों के पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को मिली होती हैं। ऐसे लेखा परीक्षकों की परिलब्धियां, लाइसेंसदाता द्वारा जैसी भी निर्धारित की जाएंगी, वे लाइसेंसधारक द्वारा वहन की जाएंगी।

23.6 लाइसेंसदाता "विशेष लेखा परीक्षकों" द्वारा लाइसेंसधारक कंपनी के लेखाओं/रिकार्डों की "विशेष लेखा परीक्षा" भी करा सकता है जिसका भुगतान लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जाएगा। इसे लाइसेंसधारक कंपनी वहन करेगी। यह उपर्युक पैरा **23.5** में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा के स्वरूप का होगा।"विशेष लेखा परीक्षकों" को भी वही सुविधा और वही शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिकल्पित कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उपलब्ध हैं।

23.7 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर निर्धारित लेखांकन मानदंडों और मार्गनिर्देशों जैसा भी मामला हो, के अनुसार कंपनी का वार्षिक वित्तीय लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

भाग - IV तकनीकी शर्तें

24. प्रयोज्य प्रणाली :

24.1 लाइसेंसधारक संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ/दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र के मानकों को पूरा करने वाले किसी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर सर्किट तथा/पैकेट स्विच का प्रयोग करके प्रयोज्य प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

24.2 सेवा प्रचालन की प्रक्रिया में, लाइसेंसधारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगा :-

(i) उपभोक्ता के परिसर में उपस्कर की संस्थापना, जोकि उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करेगा, को छोड़कर साइट्स की संस्थापना के लिए
(ii) उपस्कर के समुचित रखरखाव के लिए
(iii) निष्पादन मानदंड को बनाए रखने के लिए
(iv) विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एमटीटीआर को बनाए रखना

25. इंजीनियरिंग ब्यौरा :

(क) लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को ऐसे तरीके से और ऐसे समय, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मांग करे, लागू व्यवस्था के संबंध में सिस्टम/नेटवर्क का इंजीनियरिंग, योजना और आयाम की सभी गणनाओं सहित पूरा तकनीकी ब्यौरा, संबंधित प्रासंगिक साहित्य, ड्राईंग्स, संस्थापना सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(ख) सेवा के शुरू होने से पहले अथवा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय यदि लाइसेंसप्रदाता का जांच दल और/अथवा टीईसी जांच करना चाहे तो लाइसेंसधारी उन्हें सभी औजार जांच उपकरण और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(ग) टीईसी/लाइसेंसप्रदाता द्वारा निष्पादन जांच के लिए लाइसेंसधारी की ओर से सिस्टम उपलब्ध कराने में हुए किसी विलंब को इस लाइसेंस की शर्तों द्वारा अभ्यारोपित रॉलआउट दायित्वों को पूरा न करने के लिए वैध कारण नहीं समझा जाएगा।

26. नेटवर्क अंतर्संयोजन :

26.1 विभिन्न सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों में अंतर्संयोजन टेलीकॉम इंजीनियरिंग केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सीसीएस सं0 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तथा नेटवर्कों की तकनीकी सुगमता और तकनीकी एकीकरण के आधार पर भी और समय-समय पर ट्राई द्वारा जारी अंतर्संयोजन विनियमों के समग्र ढांचे के अंतर्गत होना चाहिए।

26.2 अंतर्संयोजन करारों पर वार्तालाप के लिए जीएमपीसीएस सेवा लाइसेंसधारी अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर उपयुक्त व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें अंतर्संयोजित नेटवर्क निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा:-

(क) अंतर्संयोजित सिस्टमों के बीच मैसेज के ट्रांसमिशिन और रिस्पशन के लिए यथोचित मांग पूरी करना

(ख) लागू व्यवस्था द्वारा मैसेज के ट्रांसमिशिन और रिस्पशन के लिए पर्याप्त क्षमता और पर्याप्त सं0 में ऐसे एक अथवा अधिक अंतर्संयोजन बिंदुओं, जितने तार्किक रूप से अपेक्षित हो, की स्थापना और रखरखाव

(ग) उनके लागू सिस्टमों को अंतर्संयोजित करने तथा अंतर्संयोजन को बनाए रखने के लिए।

26.3 किसी उपस्कर का प्रावधान और अंतसंयोजन के प्रयोजन के लिए इसकी संस्थापना संबंधित पक्षों के आपसी करार पर निर्भर करेगी।

26.4 किसी सेवाप्रदाता के साथ प्रत्येक इंटरफेस के लिए अंतर्संयोजन जांच लाइसेंसधारी और संबंधित अन्य पक्ष के बीच हुए आपसी करार के आधार पर होगी। अंतर्संयोजन जांच की सारिणी आपसी सहमति के आधार पर बनेगी।

26.5 जीएमपीसीएस सेवा प्रदाताओं के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह सभी पात्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्संयोजन उपलब्ध कराए जिससे एनएलडी सेवा प्रचालक के माध्यम से उपभोक्ता अंतर-सर्किल/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल करने के लिए स्वतंत्र रूप से चयन कर सके। अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए जीएमपीसीएस सेवा प्रदाता केवल राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी तक अभिगम स्थापित करेगा।

26.6 मेट्रो शहरों में जीएमपीसीएस सेवा प्रदाताओं तथा स्थिर सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन बिन्दु (पीओआई) केवल स्तर-I टैक्सों तथा टैन्डेम एक्सचेंजों के साथ होंगे। दूरसंचार सर्किलों में अंतर्संयोजन स्तर-1 टैक्स/अन्तर्संयोजन के साथ होंगे तथा स्तर-II टैक्सों की भी अनुमति होगी, तथापि, स्तर-II पर पीओआई स्थित अन्य एलडीसीए तक परियात ट्रांजिट करने की अनुमति नहीं होगी।

27. इंटरफेस :

27.1 लाइसेंसप्रदाता और ट्राई द्वारा आपसी रूप से सहमति पर समय-समय पर दिए गए ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफेस के संबंध में गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हुए लाइसेंसधारी लाइसेंसीकृत नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव करेगा। सेवा उपलब्ध कराने के उद्श्य से, लाइसेंसधारी अपने उपस्कर की संस्थापना करेगा ताकि अन्य सेवा प्रदाताओं के उपस्कर से प्रतिस्पर्धा हो सके, जिसके लिए लाइसेंसधारी के लागू सिस्टम अंतर्संयोजन के लिए चाहिए। लाइसेंसधारी अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और नुकसानों को निपटाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होगा।

27.2 लाइसेंसधारक के भौगोलिक रुप से फैले उपस्कर का नेटवर्क तैयार करने तथा सेवा की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त दूरसंचार स्रोतों को बीएसएनएल, एमटीएनएल सहित सेवा प्रदाताओं अथवा प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के परस्पर सहमत शर्तों पर पट्टे/किराए पर लिया जाएगा। इनका संचालन अंतर्संयोजन संबंधी प्रभारों के बारे में ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अधिसूचनाओं द्वारा किया जाएगा।

27.3 अंतर नेटवर्क कॉल हेतु अन्य नेटवर्कों अर्थात पीएसटीएन, पीएलएमएन आदि से सुविधा प्राप्त करने संबंधी शुल्क, ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/विनियमों/दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच हुए आपसी करार पर आधारित होगा।

27.4 लाइसेंसधारी की सेवा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंतर्संयोजन नेटवर्कों के उन्नयन/आशोधन की लागत सहित नेटवर्क संसाधनों पर आपसी सहमति, ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और विनियमों के मद्देनजर होगी।

28. निष्पादन की गुणवत्ता :

28.1 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा विर्निदिष्ट की गई सेवा गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। लाइसेंसधारी इन सेवा गुणवत्ता मानकों का दृढ़ता से पालन करेगा और उनसे संबंधित अपेक्षित जानकारी समयानुसार प्रदान करेगा।

28.2 लाइसेंसधारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगा :

(i) निष्पादन और सेवा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना

(ii) सेवा गुणवत्ता की विर्निदिष्ट सीमा के अंदर एमटीटीआर (रिस्टोर के लिए औसत समय) को बनाए रखना जैसाकि आपदाओं को छोड़कर सामान्य विफलताओं के मामले में नीचे दिया गया है

(क) उपभोक्ताओं की शिकायतों से उत्पन्न 90% दोषों को 24 घंटे में और 99% दोषों को 3 कैलेण्डर दिनों में ठीक किया जाना चाहिए।

(ख) लाइसेंसधारी सेवा के संबंध में त्रुटियों ओर परिशोधन रिपोर्टों की संख्या का रिकार्ड रखेगा, जोकि जब भी और जिस रूप में अपेक्षित हो लाइसेंस प्रदाता/ट्राई के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

28.3 लाइसेंसधारी, अपने उपभोक्ताओं द्वारा दायर शिकायतों के लिए जिम्मेवार होगा। लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट एमटीटीआर के अंदर की विषमताओं को सुधारेगा और प्रत्येक संस्थापना, आंकडों और समग्र रखरखाव स्तर के निष्कर्ष के विवरण को बनाए रखेगा।

28.4 सेवा के वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी देने से पहले लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई अंतर्संयोजन जांचों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और/अथवा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारी के नेटवर्क में निष्पादन संबंधी जांच और सेवा गुणवत्ता मानदंडों का मूल्यांकन कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नेटवर्क सेवा गुणवत्ता के विर्निदिष्ट मानदंडों को पूरा करता है। लाइसेंसधारी इन जांचों के लिए प्रवेशाधिकार तथा उपकरणों, उपस्कर इत्यादि सहित अन्य सहायता प्रदान करेगा।

29. आपातकालीन और लोक उपयोगी सेवाएं :

29.1 लाइसेंसधारक अपने ग्राहकों को ग्राहकों के नाम और पते के साथ निदेशिका सूचना सेवाओं सहित सभी आपातकालीन और जनापयोगी सेवाएं स्वतंत्र रूप से प्रदान करेगा।

भाग-V प्रचालन स्थितियां

30. ग्राहक सेवा :

30.1 लाइसेंसधारक मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन संबंधी मांग/अनुरोध को दर्ज करने के लिए बाध्य होगा और जब तक लाइसेंस प्रदाता द्वारा लिखित में निदेशित न किया गया हो, किसी व्यक्ति अथवा विधिक व्यक्ति को सेवा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेगा। लाइसेंसधारक से एक पारदर्शी, निरीक्षण के लिए खुली प्रतीक्षा सूची का रख-रखाव करने की अपेक्षा की जाएगी। लाइसेंसधारक को वाणिज्यिक सेवा शुरु करने की अनुमति विहित रीति के पंजीकरण शुरू करने के बाद ही दी जाएगी।

बशर्ते इसमें निहित कोई बात, लाइसेंसधारी के अपने भावी उपभोक्ताओं संबंधी साख संबंधी योग्यता के अधिकार को प्रभावित और पूर्वाग्रहित नहीं करेगी।

30.2 यह लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी कि सेवा के उपयोग के लिए अपने-अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करे अथवा बिल जारी करवाए। मदीकृत बिलिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऐसे रिकार्डों को बनाए रखेगा। लाइसेंसधारी की बिलिंग व्यवस्था से समुचित विस्तृत बिलिंग सूचना उपलब्ध होगी जिससे बिल की वास्तविकता के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी निदेश लागू होंगे।

30.3 लाइसेंसधारी के संविदाकृत दायित्वों (अन्य सेवाप्रदाताओं सहित विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाता जिन्हें भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतगर्त लाइसेंस की जरूरत नहीं है) में, जिसमें वे शर्तें भी शामिल है जिनके अंतगर्त सेवा प्राप्त, उपयोग और रद्द भी की जा सकती है।

30.4 लाइसेंसधारी मरम्मत, दोष समाधान, क्षतिपूर्ति अथवा धन वापसी से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा। इस संबंध में सभी शिकायतों का समाधान/निपटान लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों अथवा विनियमों अथवा निदेशों के अनुसार किया जाएगा।

30.5 सेवा के प्रावधान संबंधी कोई भी विवाद केवल पीड़ित पक्ष और लाइसेंसधारी के बीच का मामला होगा, लाइसेंसधारी को ये सभी बातें सेवा प्रदान करने से पहले सभी को सूचित करनी होंगी और लाइसेंसप्रदाता किसी भी मामले में किसी भी देयता अथवा उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगा।

31. उपभोक्ता टर्मिनल (फिक्सड, मोबाइल टेलीफोन अथवा हैंडसैट) :

31.1 लाइसेंसधारी के पास यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता/मोबाइल टर्मिनलों की बिक्री, किराया खरीद, पट्टा और किराया संबंधी कार्य करें। उपभोक्ता के परिसर में टर्मिनल का समुचित उपयोग लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच हुए करार के अनुसार होगा।

32.2 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी लाइसेंसधारी की होगी कि उपभोक्ता/मोबाइल टर्मिनल का प्रचालन लाइसेंस और डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार हो रहा है। उपभोक्ता टर्मिनल में सिम कार्ड अहस्तांतरणीय है।

31.3 नेटवर्क में प्रयुक्त उपभोक्ता टर्मिनल आईटीयू/ईटीएसआई/टीईसी के संबंध में तथा अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत निकाय जैसे अंतरर्राष्ट्रीय विख्यात एजेंसी से प्रमाणित प्रकार/प्रतिमान होगा अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक होगा। उन्हें ऐसे मानकों के अनुपालन को विनिर्दिष्ट करने वाले मार्के प्रदर्शित करना चाहिए। इस करार के अंतर्गत केवल ऐसी श्रेणी की उपभोक्ता यूनिट जिसे ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो भारत में लाई और प्रचालित की जा सकती है।

31.4 ऐसे उपभोक्ता टर्मिनलों जिन्हें आईटीयू में पंजीकृत किया गया है या जिन्हें अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जांच प्रयोगशालाओं द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है, को लाइसेंसिंग प्राधिकारी की ओर से टीईसी द्वारा स्वयं को इस बाबत संतुष्ट करते हुए कि ये टर्मिनल भारत सरकार की सुरक्षा जरूरतें पूरी करते हैं, प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए।

32. लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व :

32.1 यह लाइसेंस समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और ट्राई अधिनियम, 1997 अथवा इनके स्थान पर किसी अन्य संविधि द्वारा संचालित होगा।

32.2 लाइसेंसधारी जब कभी आवश्यक हो, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराएगा। इस लाइसेंस करार में कहीं भी उपबंधित तथा विहित कुछ भी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा प्रभावी किसी अन्य कानून के उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित किसी भी चीज को प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं करेगा।

33. अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच प्रत्यक्ष अंतर्संयोजनीयता

लाइसेंसधारक जीएमपीसीएस प्रचालक तथा किसी अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता के बीच प्रत्यक्ष अन्तर्संयोजनीयता की अनुमति केवल एक दूसरे के परियात को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ दी जाती है ; ऐसी प्रत्यक्ष अन्तर्संयोजनीयता स्थापित करने के 15 कैलेण्डर दिनों के भीतर लाइसेंसदाता को सूचना देनी होगी। इस प्रकार का अंतर्संयोजन सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर करार के अनुसार होगा। यह अंतर्संयोजन अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के संबंधित लाइसेंसशुदा नेटवर्क की समाप्ति के मामले में एक घंटे या उस अवधि के भीतर वापस लेना होता है जैसा कि लाइसेंस प्रदाता द्वारा लिखित मे निर्देश दिया जाता है। ऐसा इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता से सूचना प्राप्त होने के बाद किया जाता है।

34. कवरेज मानदंड

34.1 लाइसेंसधारक लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संपूर्ण सेवा क्षेत्र को बिना किसी फेरबदल के कवर करेगा।

35 सेवा की विलंब से प्रदानगी के लिए अतिरिक्त प्रवेश शुल्क

35.1 इस लाइसेंस में निर्धारित सेवा प्रदान करने की अवधि करार के मुख्य भाग के रूप में मानी जाएगी और यह सेवा विनिर्दिष्ट समय अवधि तक आवश्यक रूप से शुरू कर दी जानी चाहिए। डिलीवरी की तारीख में किसी विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यदि यह सेवा इसके आरंभ करने की तारीख के समाप्त होने के बाद लाइसेंस प्रदाता की लिखित सहमति के बिना शुरू की जाती है और स्वीकार की जाती

है तो इस प्रकार सेवा शुरू करने के लिए इस शर्त के अधीन अतिरिक्त प्रवेश शुल्क की वसूली की जाएगी। बशर्ते कि यदि सेवा इसके शुरू करने की निर्धारित तारीख के समाप्त होने के बाद 15 कैलेण्डर दिनों के भीतर चालू की जाती है तो लाइसेंस प्रदाता यह सेवा अतिरिक्त प्रवेश शुल्क लगाए बिना भी स्वीकार करेगा।

35.2 यदि लाइसेंसधारक यह सेवा अथवा इसका कोई भाग चालू करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर चालू करने में विफल (अर्थात् सेवा प्रदान करने या अपेक्षित कवरेज मानदंड को पूरा करने में विफल) रहता है तो लाइसेंस प्रदाता निम्न प्रकार से अतिरिक्त प्रवेश शुल्क की वसूली करेगा :

(क) 1 वर्ष तक विलंब	:	दूसरे वर्ष के प्रथम दिन 5 लाख रु का भुगतान करना होगा।
(ख) एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक विलंब	:	उपर्युक्त (क) के अनुसार 5 लाख रु0 जमा तीसरे वर्ष के प्रथम दिन 5 लाख रु0 का भुगतान करना होगा।
(ग) 2 वर्षों से अधिक का विलंब	:	उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित 10 लाख रु0 जमा चौथे वर्ष के प्रथम दिन 5 लाख रु0 का भुगतान करना होगा और शर्त सं0 10, भाग-1 के अनुसार लाइसेंस को समाप्त किया जा सकता है।

36. संस्थापना का निरीक्षण और जांच :

36.1 लाइसेंसप्रदाता/ट्राई, यदि आवश्यक हो तो सेवा गुणवत्ता की जांच के लिए अपेक्षित सभी निष्पादन जांचों को भी करेगा। लाइसेंसधारी संस्थापित उपस्कर संबंधी सभी आवश्यक साहित्य, ड्राईंग इत्यादि और लाइसेंसप्रदाता को जांच करने के लिए सभी उपकरण, जांच उपकरण और जांच दल के लिए अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी सेवा शुरू होने से एक महीने पहले निष्पादन जांचों की सूची लाइसेंसप्रदाता को उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसप्रदाता द्वारा निष्पादन जांच करने की स्थिति में और कुछ कमियां पाए जाने पर, कमियों को सुधारने में हुई किसी भी देरी की जिम्मेवारी पूर्णतया लाइसेंसधारी की होगी।

36.2 बीएसएनएल/एमटीएनएल/अथवा अन्य सेवा प्रदाता के साथ प्रत्येक इंटरफेस की स्वीकृति जांच लाइसेंसधारी और शामिल अन्य पक्ष द्वारा आपसी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। अंतर्संयोजन जांच सारणी पर आपसी सहमति होगी।

भाग-VI सुरक्षा स्थितियां

37. निरीक्षण का अधिकार :

37.1 लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा विस्तार के लिए प्रयुक्त साइटों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को (विशेष रूप से परंतु जो इस तक सीमित नहीं है) लीज्ड लाइनों, जंक्शनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, सेमीकंडक्टरों की मेमोरी, चुंबकीय और आप्टिकल किस्मों, तारशुदा या वायरलेस विकल्पों, वितरण फ्रेमों तक अभिगम का अधिकार होगा और वे निष्पादन परीक्षण संचालित करेंगें जिसमें निवेश/निर्गत प्रणालियों या टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ संवाद करना शामिल है। लाइसेंसधारी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांग की जाए। लाइसेंसप्रदाता सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण करेगा, नोटिस सिर्फ उन परिस्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिनमें निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।

37.2 यह पता लगाने के लिए कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, लाइसेंसप्रदाता जहां कहीं उपयुक्त समझे स्वेच्छा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर सकता है और लाइसेंसप्रदाता ऐसी जांच में, बिना किसी रूकावट के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

38. हब केन्द्र/गेटवे की अवस्थिति :

38.1 लाइसेंसधारी लाइसेंसप्रदाता को हब केन्द्रों/गेटवे, नियंत्रण केन्द्रों का रूटिंन ब्योरा सहित अवस्थिति ब्योरा उपलब्ध कराएगा और इन केन्द्रों की अवस्थिति को लाइसेंस प्रदाता की पूर्वानुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।

39. सूचना की गोपनीयता :

39.1 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। लाइसेंसधारी के विर्निदिष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लगने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लगाने के लिए लाइसेंसप्रदाता या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

39.2 इन शर्तों में निहित स्थितियों के अध्यधीन लाइसेंसधारी तीसरे पक्ष और उसके व्यवसाय जिसको वह सेवा प्रदान करता है और जिससे उसने अपनी सेवा के माध्यम से सूचना प्राप्त की है, की सूचना संबंधी निजता ओर गोपनीयता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और निम्नलिखित की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा :

(क) लाइसेंसधारी की ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी ऐसी किसी भी सूचना का , जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के संबंध में आवश्यक हो, के अलावा, खुलासा या उपयोग नहीं करेगा।

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी सूचना, जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के प्रसंग में आवश्यक हो, के अलावा, को प्राप्त नहीं करेगा।

परंतु उपर्युक्त पैरा वहां लागू नहीं होगा जहां :

(क) यह सूचना किसी पक्ष विशेष से संबधित हो और उस पक्ष ने उस सूचना का खुलासा करने या उपयोग करने के संबध में लिखित सहमति दे दी हो और ऐसी सूचना का उस सहमति के अनुसार खुलासा या उपयोग किया गया हो, अथवा

(ख) यह सूचना पहले ही सार्वजनिक हो और सबको मालूम हो।

39.3 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि लाइसेंसधारी, उसकी और से कार्य कर रहा कोई भी व्यक्ति और लाइसेंसधारी के समूह का कोई सदस्य (सहयोगी) और उनकी और से कार्य कर रहा कोई भी व्यक्ति ग्राहक की सूचना संबंधी गोपनीयता का अनुपालन करे।

39.4 लाइसेंसधारी, सेवा आरंभ करने से पूर्व, लाइसेंस प्रदाता को लिखित में यह पुष्टि करेगा कि लाइसेंसधारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर लिए हैं कि वह तथा उसके कर्मचारी ग्राहक की सूचना की गोपनीयता का अनुपालन कर रहे हैं।

40. लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध :

40.1 लाइसेंसधारी यहां इस लाइसेंस के बल पर इस लाइसेंस करार में यथा परिभाषित सेवा को छोड़कर अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य नहीं करेगा।

40.2 किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा में निहित कोई भी बात लाइसेंसधारी को किसी भी प्रयोज्य प्रणाली से संबंधित विज्ञापन और प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलापों में सलंग्न होने से नहीं रोकती।

40.3 लाइसेंसधारी, देश के स्थापित कानूनों का पालन करते हुए अपने नेटवर्क से किसी भी रूप में विवादित, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय-वस्तु, संदेश और संचार जो कॉपीराइटर, बौदिक संपदा इत्यादि का उल्लंघन करता हो, को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघन संबंधी किसी विशिष्ट अवसर की एक बार लाइसेंसधारी को रिपोर्ट करने के बाद, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री का परिचालन तत्काल रोका जाए।

40.4 लाइसेंसधारी बिना किसी विलंब के अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने वाले अशांति फैलाने वाले, कष्टप्रद या विद्वेषपूर्ण कॉलों, संदेशों या संचार का पता लगाने वाली सुविधाएं पुलिस, उत्पाद शुल्क, गुप्तचर विभाग के अधिकारियों आदि सहित भारत सरकार के अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जब ऐसी सूचना अपराधों की जांच या पता लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में

आवश्यक हो। इस संबंध में लाइसेंसधारी की विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी क्षति का भुगतान लाइसेंसधारी करेगा।

40.5 यदि कोई गोपनीय सूचना करार के समुचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को दी जाती है तो लाइसेंसधारी और इसके कर्मचारियों, एजेंटों तथा सेवकों के लिए इसकी गोपनीयता कायम रखना बाध्यकारी होगा।

41. सुरक्षा संबंधी शर्तें :

41.1 जीएमपीसीएस गेटवे जो भारत में स्थित होंगे के प्रचालन और रख-रखाव का दायित्व वीएसएनएल अथवा भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत किसी एजेंसी को सौंपा जाएगा। लाइसेंसधारक भारत में प्रचालन शुरू करने से पूर्व लाइसेंस प्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मॉनीटरिंग सहित सुरक्षा पहलुओं के संबंध में प्रणाली की क्षमता प्रदर्शित करेगा।

41.2 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार सेवा क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयोजन से लाइसेंसधारी द्वारा भौगोलीय सीमाओं का यदि कोई सही चित्रण किया गया हो तो, उसे भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन चाहिए। भारत की स्थलीय सीमाएं, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जारी मानचित्र में दिए गए अनुसार होंगी।

41.3 लाइसेंसधारक अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यह वचनबद्धता व्यक्त करता है कि जीएमपीसीएस सेवा के लिए संस्थापित उपग्रहों का प्रयोग लाइसेंस प्रदाता द्वारा प्राधिकृत सेवाओं के लिए केवल भारतीय भू-भाग के ऊपर किया जाएगा। निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आदि जैसा कोई भी कार्यकलाप भारतीय भू-भाग के ऊपर नहीं किया जाएगा जिससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा हो।

41.4 लाइसेंसधारक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ एक बफर क्षेत्र का सृजन करेगा जहां किसी सेवा की अनुमति नहीं होगी। भारतीय क्षेत्र के भीतर सीमाओं से लगे इस बफर क्षेत्र की चौड़ाई का निर्णय समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार क्षेत्र और बफर क्षेत्र की चौड़ाई निर्धारित करेगी। जब कभी परिभाषित बफर क्षेत्र की रूपरेखा में कोई बदलाव होता हो, कारण चाहे जो भी हो, इसकी सूचना लाइसेंस प्रदाता को शीघ्र दी जानी चाहिए। सरकार और इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि इस प्रकार सृजित बफर क्षेत्र की सत्यता की वास्तविक जांच करेंगे।

41.5 दूरसंचार प्राधिकरण अथवा इसके नामिती के अलावा समय-समय पर दूरसंचार प्राधिकरण को यथा सूचित केंद्र/राज्य सरकार के पदनामित प्राधिकारी को भारत में स्थापित प्रत्येक गेटवे स्विच में दूरसंचार परियात को मॉनीटर करने का अधिकार होगा। लाइसेंसधारक निम्नानुसार कॉलों की मॉनीटरिंग के लिए प्रबंधन करेगा :

कुल उपभोक्ता आधार	मॉनीटर किए जाने वाले कॉल तक
1000 तक	50
1000-2000	100
2000-3000	150
3000-5000	200

उपर्युक्त एक या अधिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसी दिए हुए समय में मॉनीटर किए जाने वाले लक्षित उपभोक्ताओं की कुल संख्या होगी। इस मामले की उपभोक्ता आधार के 5000 से अधिक हो जाने पर आवश्यकतानुसार आगे समीक्षा की जाएगी। जीएमपीसीएस गेटवे तथा सुरक्षा एजेंसियों के परिसरों में स्थापित किए जाने वाले आईसीसी (इंटरसेप्ट कंट्रोल सेंटर) पर निगरानी के लिए अपेक्षित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की संस्थापना और रख-रखाव लाइसेंसधारक द्वारा उनकी अपनी लागत पर किया जाएगा। तथापि संबंधित सरकारी एजेंसियां अपनी पसंद के अनुरूप स्थापित किए जाने वाले जीएमपीसीएस गेटवे से मॉनीटरिंग केंद्रों तक पट्टेशुदा लाइन सर्किटों की लागत का वहन करेंगी। लाइसेंसप्रदाता द्वारा दोनों के लिए डाटा और स्पीच के लिए परिभाषित इंटरफेस जरूरतें और खूबियां तथा सुविधाएं लाइसेंसधारक द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। लाइसेंसधारक को बाधारहित प्रचालन के लिए मॉनीटरिंग उपस्कर की पूरी श्रृंखला में उपयुक्त प्रचूरता सुनिश्चित करना चाहिए। लाइसेंसधारक को मॉनीटरिंग उपस्कर (आईसीसी और एमसी) के प्रचालन तथा रख-रखाव में गेटवे प्रचालकों को उपयुक्त प्रशिक्षण भी देना चाहिए। यदि पीएसटीएन संपर्कों का प्रयोग करके सुधार किया जाता है तो भी संदेशन सेवा का प्रयोग करते हुए लक्षित ग्राहकों का इंटरसेप्शन प्रदान किया जाना चाहिए।

लाइसेंसधारक मॉनिटर किए गए कॉलों के विस्तार के साथ निम्नलिखित प्रावधान भी करेगा :

(क) पीएसटीएन लाइन का विस्तार

(ख) इ-1 लिंक (30 चैनल पल्स कोड मॉडुलेशन - पीसीएम) का विस्तार, जिसका गेटवे पर और साथ ही सह-संबद्ध कॉल संबंधी सूचना (सीआरआई) सहित समर्पित लाइन पर प्रयोक्ता एजेंसियों के पास एक वॉयस लॉगर में संचय किया जा सकता है।

निगरानी कॉलों के साथ निम्नलिखित रिकार्ड भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए :

(i) की गई कॉल/कॉलिंग पार्टी मोबाइल/पीएसटीएन क्रमांक
(ii) इंटरस्पशन का समय/तारीख और अवधि
(iii) लक्षित उपभोक्ताओं की संक्षिप्त अवस्थिति।
(iv) लक्षित उपभोक्ता द्वारा किया गया कॉल फारवर्डिंग पीएसटीएन नंबर, यदि कोई हो।
(v) की गई किंतु संपन्न न हो पाने वाली कॉलों का डाटा रिकार्ड

विनिर्दिष्ट अवधि में सिस्टम द्वारा नियंत्रित सभी विशेष कॉलों का, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जब कभी आवश्यक हो मांगा गया कॉल डाटा रिकार्ड लाइसेंसधारी से उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होगा।

41.6 सरकार उपयुक्त अधिसूचना द्वारा देश के कुछ क्षेत्रों में मोबाइल टर्मिनलों के उपयोग को बंद कर सकती है। लाइसेंसधारी नामित प्राधिकारी द्वारा विर्निदिष्ट क्षेत्रों में तत्काल और किसी भी स्थिति में, अनुरोध पर 6 घंटे के अंदर सेवा से इंकार कर सकता है। इनकार की शुद्धता घेरा क्षेत्र के + /- 100 मीटर होनी चाहिए। सरकार या इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इस प्रकार निषिद्ध क्षेत्र की शुद्धता का निर्धारण कर सकता है। लाइसेंसधारी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर मोबाइल टर्मिनल क्रियाकलाप की निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।

जीएमपी सीएस गेटवे के प्रचालन तथा रखरखाव कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्ति/मशीन के माध्यम से कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुरोध प्राप्त होते ही ग्राहकों को सेवा से इंकार करना संभव हो सकेगा।

41.7 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। लाइसेंसधारी को विर्निदिष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लगने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लाइसेंसप्रदाता या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन ओर अनुमोदन प्राप्त करना होगा। तथापि मानक जीएसएमएन क्रिप्सन तकनीकों की अनुमति दी जाएगी। संचार की निजता की रक्षा और संदेश का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो, यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी।

41.8 लाइसेंसप्रदाता को भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किसी निदेश के अनुसार आपात स्थिति में/युद्ध या कम प्रभाव डालने वाले संघर्ष या किसी अय घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी (आंशिक रूप में अथवा सेवा क्षेत्र में समग्र रूप से) से सेवा, उपस्कर और नेटवर्क को वापिस लेने का अधिकार है। ऐसी दशाओं के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कोई विशिष्ट आदेश अथवा निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होगा और उसका कठोरता से पालन किया जाएगा।

41.9 लाइसेंसधारक सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को मांगे जाने पर विस्तृत तकनीकी सुरक्षा/जांच के लिए गेटवे रूटों आदि तक पूर्ण अभिगम प्रदान करेगा। लाइसेंसधारक सरकार को तोड़-फोड़, उपद्रव, जासूसी अथवा किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

41.10 लाइसेंसशुदा नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन और रख-रखाव के लिए लाइसेंसधारक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सभी संभावित विदेशी कर्मचारियों को तैनाती से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा संबधी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। सुरक्षा संबंधी अनापत्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जाएगी।

41.11 लाइसेंसधारक के पास इन शर्तों को आशोधित करने अथवा नई शर्तें शामिल करने का अधिकार होगा यदि यह देश की सुरक्षा और जनहित में आवश्यक हो।

41.12 प्रयोज्य प्रणाली के माध्यम से पास किये जाने वाले सभी परियात (भारत से किये जाने वाले परियात तथा भारत में समाप्त होने वाले परियात) की निगरानी करने के लिए लाइसेंसधारक जीएमपीसीएस नेटवर्क में पर्याप्त निगरानी सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित प्राधिकृत एजेंसियों से कालों की निगरानी के लिए अपनी लागत से आवश्यक विशिष्टियों और सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यक प्रणालियों को संस्थापित करेगा। टारगेट इन्टरसेप्ट लिस्ट (टीआईएल) के अतिरिक्त विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति आधारित अंतरावरोधन का कार्यान्वयन भी संभव होगा यदि प्राधिकृत सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की जाएगी। कालों की निगरानी का एहसास मोबाइल प्रयोक्ता को चाहे प्रत्यक्ष निगरानी के दौरान। हो अथवा जब निगरानी के लिए काल ग्राउंड की जाए, नहीं होना चाहिए। निगरानी के प्रयोजनार्थ काल की ग्राउंडिंग के लिए कोई प्रभार नहीं वसूला जाएगा। निगरानी गतिविधियों और प्रयुक्त एअरटाइम के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा।

41.13 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य देश के गेटवे में दर्ज किसी यूजर टर्मिनल को भारतीय भू-भाग से प्रचालन करते समय भारतीय गेटवे में पुनः दर्ज करवाया जाए। कोई भी यूटी जो भारत से बाहर पंजीकृत हो को भारत में भारत से बिना उचित प्राधिकार के कॉल करने या कॉल प्राप्त करने का प्रयास प्रणाली द्वारा स्वतः अस्वीकृत कर दी जाएगी और ऐसे प्रयास किए जाने पर यूटी पहचान तथा अवस्थिति के बारे में सूचना शीघ्र ही पदनामित प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।

41.14 लाइसेंसधारक को चाहिए कि वह प्राधिकृत सुरक्षा एजेंसियों तथा लाइसेंस प्रदाता को अपने उपभोक्ताओं की एक सूची सीधे प्रदान करे और इसे तिमाही आधार पर अद्यतन बनाए। इस सूची में नए नाम जुड़ने तथा हटने की सूचना मासिक आधार पर भेजी जानी चाहिए। लाइसेंसधारक प्रत्येक ग्राहक को सूचीबद्ध करने से पूर्व उसका प्रर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करेगा। प्रयोग किए जाने वाले प्रयोक्ता टर्मिनल को प्रत्येक ग्राहक के लिए पंजीकृत किया जाएगा। लाइसेंसधारक उपभोक्ता को यह स्पष्ट करेगा कि उसके लिए दर्ज किया गया मोबाइल टर्मिनल अहस्तांतरणीय है और यह कि सेवा के विश्वसनीय तथा समुचित उपयोग के लिए केवल वहीं जिम्मेदार होगा। लाइसेंसधारक के लिए यह व्यवस्था होगी कि वह भारतीय भू-भाग के भीतर कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा/विधि प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के प्रचालन कार्य की छानबीन करे और वह लाइसेंस प्रदाता को आवश्यकता पड़ने पर उनकी पहचान एवं अवस्थिति (अक्षांश और देशांतर) के बारे में सूचित करे।

41.15 इस देश में पंजीकृत जीएमपीसीएस मोबाइल टर्मिनल के साथ प्रवेश करने वाले किसी विदेशी उपभोक्ता को इसकी जानकारी सीमा शुल्क प्राधिकारियों को देनी चाहिए जो इस ब्यौरे को उसके पासपोर्ट में रिकार्ड करेंगे तथा टर्मिनल के प्रयोग के लिए उसे एक अनुज्ञप्ति जारी करेंगे। बशर्ते कि ऐसे आगंतुक उपभोक्ता उस मोबाइल टर्मिनल को भारत से बाहर वापस ले जाने की वचनबद्धता प्रस्तुत करें।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे विदेशियों द्वारा भारत में प्रयोक्ता टर्मिनल लाने के बारे में सेवा प्रदाता तथा सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें।

41.16 भारतीय भू-भाग में गुप्त रूप से लाये गए प्रयोक्ता टर्मिनलों की सेवा अस्वीकृत (Denied) होगी। ऐसे प्रयोक्ता टर्मिनलों को नकारने के लिए सेवा लाइसेंसधारक के पास निर्मित क्षमताएं होंगी। कोई प्रयोक्ता टर्मिनल, जो भारत के भीतर के कार्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत न हो, यदि वह भारत में और भारत से काल करने का प्रयास करता है तो अभिगम्यता स्वतः अस्वीकृत कर दी जाएगी और ऐसी घटनाओं को अभिलेखबन्द किया जाएगा और इसके संबंध में सूचना यथाविनिर्दिष्ट लाइसेंसदाता/सुरक्षा एजेन्सियों को उपयुक्त ढंग से भेज दी जाएगी। भ्रमणकारी उपभोक्ताओं के लाइसेंसधारक के ईक्विपमेन्ट आइडेंटिटी रजिस्टर(ईआईआर) पर अपने प्रयोक्ता टर्मिनलों का पंजीकरण करना अपेक्षित होगा। लाइसेंसदाता वायु/स्थल/जल सीमा शुल्क और लाइसेंसधारक के बीच देश में विधिक रूप से लाये गये सभी मोबाइल टर्मिनलों के संबंध में आन-लाइन समन्वयन के लिए नियमित आधार पर सूचना के आदान प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी के परामर्श से अलग से उपयुक्त प्रशासनिक प्रकियातंत्र अधिसूचित करेगा। इस व्यवस्था से भारतीय भूभाग में सेवा नकारने के लिए गुप्त रूप से लाये गये मोबाइल टर्मिनलों (अन्य देशों में पंजीकृत) की पहचान और पृथक्करण में सुविधा मिलेगी।

41.17 किसी उपभोक्ता को ग्राहक के रूप में नामांकित करने से पहले लाइसेंस प्रदाता द्वारा सूचना के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक प्रपत्र निर्धारित किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे ब्यौरे का समान रूप से रख-रखाव किया जा सकता है और इसे सरकारी एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

41.18 भारत में मोबाइल टर्मिनलों से की जाने वाली अथवा भारत में मोबाइल टर्मिनलों में समाप्त होने वाली सभी कालें भारत में अवस्थित जीएमपीसीएस गेटवे के माध्यम से पास की जाएगी। ऐसी कालें किसी अन्य गेटवे अर्थात् भारत के बाहर अवस्थित गेटवे के माध्यम से नहीं जा पाएंगी। यदि किसी मामले में गेटवे बाईपास किया जा रहा होगा तो वीएसएनएल को इसकी क्षतिपूर्ति देनी होगी। (वीएसएनएल को प्रदान की जानेवाली क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय परियात छोरों के संबंध में वीएसएनएल के एकाधिकार के पश्चात् समीक्षा करनी होगी।) सभी अन्तः नेटवर्क कालें दो गेटवे स्विचों अर्थात् एक गेटवे लाइसेंसधारक का होगा और दूसरा वीएसएनएल अथवा सरकारी स्वामित्वाधीन बुनियादी सेवा प्रचालकों(अर्थात् बीएसएनएल/एमटीएनएल) का होगा, के माध्यम से गुजरेंगी) पीएसटीएन में बाहर

जाने वाली अथवा समाप्त होने वाली सभी अन्तर्राष्ट्रीय कालें वीएसएनएल गेटवे के माध्यम से गुजरेंगी। पीएसटीएन में सभी राष्ट्रीय कालें बीएसएनएल/एमटीएनएल टीएएक्स स्विचों के माध्यम से भेंजी जाएगी।

42. <u>भारतीय तार अधिनियम का उपयोग</u> :

42.1 लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधित अथवा परिवर्तित भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को लागू करने और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तरीके अपनाएगा। सेवा, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय तार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

42.2 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसप्रदाता द्वारा सूचित केंद्र/राज्य सरकार के नामित प्राधिकारियों को समय-समय पर अपने नेटवर्क के माध्यम से संदेश के अंतरावरोधन के लिए लाइसेंसधारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) निम्नानुसार है :

"किसी लोक आपातकाल अथवा लोक सुरक्षा की दृष्टि की स्थिति में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से विशेष तौर पर प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि सहमत हो कि, किसी टेलीग्राफ द्वारा ट्रांसमिशन के लिए लाया गया अथवा ट्रांसमिटिड अथवा प्राप्त कोई संदेश भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, बाह्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था अथवा वर्ग विशेष के किस अपराध को उकसाने वाले अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग से प्राप्त अथवा संप्रेषित कोई संदेश अथवा किसी विषय विशेष से संबंधित किसी संदेश को, यह आवश्यक समझे अथवा ऐसा शीघ्र करना आवश्यक हो कि इसे ट्रांसमिटिड नहीं किया जाएगा अथवा इसे रोका जाए अथवा सरकार को अथवा अधिकारी को आदेश के संबंध में बताया जाए।

बशर्ते केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रत्यायित संवाददाता द्वारा भारत में प्रकाशन के लिए भेजे गए प्रेस संदेश को जब तक इस उपधारा के अंतर्गत उनके ट्रांसमिशन को निषेध न कर दिया जाए, अंतरावरोधित अथवा रोका नहीं जाएगा।"

भाग-VII डब्ल्यूपीसी स्कंध की अनुज्ञप्ति

43. डब्ल्यूपीसी स्कंध :

43.1 डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की ओर से एक अलग से विशिष्ट अनुज्ञप्ति और लाइसेंस (जिसे इसके पश्चात डब्ल्यूपीसी स्कंध कहा जाएगा) अपेक्षित होगा जो उक्त अनुज्ञप्ति ओर डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की भुगतान सहित विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंस करार के अधीन दूरसंचार सेवा के बेतार अवयवों की स्थापना और कब्जा और प्रचालन के लिए उपयुक्त फ्रीक्वेंसी/बैंड के उपयोग की मंजूरी देगा। अनुज्ञप्ति ओर डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की ऐसी मंजूरी सामान्य नियमावली, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी ओर इसमें शामिल आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर आधारित होगी।

43.2 इस प्रयोजन हेतु, डब्ल्यूपीसी स्कंध से उपलब्ध एक विहित आवेदन प्रपत्र में "बेतार सलाहकार, भारत सरकार, डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, संचार भवन, नई दिल्ली-110001" को अलग से एक आवेदन भेजा जाएगा।

43.3 फीक्स्ड स्टेशनों और इनके एंटीना मास्ट के संबंध में डब्ल्यूपीसी स्कंध से स्थल का निकासी प्रमाण पत्र लेना होगा जिसके लिए आवेदनकर्ता एक विहित आवेदन प्रपत्र में अलग से सचिव, फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) को निम्नलिखित पते पर आवेदन भेजेंगे :

सचिव (एसएसीएफए), डब्ल्यूपीसी स्कंध,
संचार मंत्रालय,
दूरसंचार विभाग,
संचार भवन,
नई दिल्ली-110001.

व्याख्या : फ्रीक्वेंसी आबंटन और अन्य संबधित मुद्दों/विषयों में समन्वय के संबंध में विषयों पर बातचीत करने के लिए संचार मंत्रालय में एसएसीएफए एक शीर्ष निकाय है। साइट निकासी प्रमाण पत्र से अभिप्राय मुख्य बेतार प्रयोक्ताओं के करार से है जो कि अन्य रेडियो सिस्टम वायु जोखिमों के साथ तुलना की दृष्टि से प्रस्तावित फीक्स्ड एंटीना की अवस्थिति के संबंध में है। इसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय की जरूरत है और यह एक अंतर्गत प्रक्रिया है। आमतौर पर साइट निकासी प्रमाण पत्र प्रक्रिया में एंटीना/मास्ट की संस्थापना और ऊंचाई की प्रकृति के आधार पर दो से छह महीने लगते हैं।

43.4 विभिन्न प्वाइंट टू प्वाइंट रेडियो लिंक की स्थापना के लिए विभिन्न एजेंसियों को चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंड, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (इसके पश्चात एनएफएपी-2002 कहलाएगी) में दिए गए हैं। केवल बैंड का संकेत ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की गारंटी नहीं है, इसे मामला दर मामला आधार पर समन्वित किया जाएगा।

43.5 लाइसेंसधारी रेडियों स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन का कारण नहीं बनेगा अथवा कारण की इजाजत नहीं देगा। अन्य प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन को समाप्त करने के लिए लाइसेंसधारी सरकार द्वारा जारी सभी अनुदेशों और आदेशों का पालन करेगा।

शब्दों/परिभाषाओं की व्याख्या

1. **प्रयोज्य प्रणालियां :** "प्रयोज्य प्रणाली" से आशय प्रचालनात्मक/तकनीकी तथा गुणवत्ता संबंधी जरूरतों और लाइसेंस करार के अन्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वैश्विक मोबाइल निजी संचार उपग्रह के माध्यम से प्रदान करने के लिए लगाए गए सभी आवश्यक उपस्कर/उप-केंद्र।

2. **लेखा-परीक्षक** से आशय कंपनी अधिनियम, 1965 की आवश्यकताओं के अनुरूप अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक से है।

3. **संपर्कसाध्य प्रणाली** से आशय ऐसी दूरसंचार प्रणाली से है जिसे सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत प्राधिकृत किया जाता है और प्रयोज्य प्रणाली से जोड़े जाने के लिए प्राधिकृत होती है।

4. **सीधी एक्सचेंज लाइन (डीईएल)** : उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर और टर्मिनल एक्सचेंज के बीच का टेलीफोन कनेक्शन ।

6. **डीओटी** से आशय लाइसेंस प्रदाता के रूप में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से है।

7. **बीएसएनएल** से आशय भारत संचार निगम लिमिटेड और अथवा इसके उत्तराधिकारियों से है।

8. **प्रभावी तारीख :** प्रभावी तारीख वह तारीख है जिस दिन लाइसेंस करार पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह लाइसेंस इसकी प्रभावी तारीख से लागू हो जाता है।

9. **आपात काल** से आशय बड़ी दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और ऐसी घटनाओं जिनमें टॉक्सिक अथवा रेडियो एक्टिव सामग्री शामिल है, सहित किसी भी प्रकार की आपातस्थिति से है।

10. किसी स्थान से संबंधित **आपातकालीन सेवाओं** से आशय उस स्थान के लिए संबंधित सार्वजनिक, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस तथा तटरक्षक सेवाओं से है।

(18

LICENCE AGREEMENT

FOR

PROVISION OF

GLOBAL MOBILE PERSONAL COMMUNICATION BY SATELLITE (GMPCS SERVICE)

IN INDIA

NO. _____ DATED _____

TOTAL PAGES _____

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
TELECOM COMMISSION

20, ASHOKA ROAD, SANCHAR BHAWAN
NEW DELHI-110 001. INDIA.

(135

(173